



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ज्येष्ठ 1943 (श0)
(सं0 पटना 324) पटना, बुधवार, 2 जून 2021

विधि विभाग

अधिसूचना

2 जून 2021

सं० एल0जी0-01-13/2021/2677/लेज—भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-(1) के अधीन बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 02 जून, 2021 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव ।

(बिहार अध्यादेश संख्या-03, 2021)

बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

प्रस्तावना:— चूंकि, बिहार राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है, और, चूंकि बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) का, इसमें आगे वर्णित रीति से, संशोधन करने हेतु उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। — (1) यह अध्यादेश बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम सं० 11, 2007) या कन्टोन्मेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम ii, 1924) के उपबंध लागू हैं।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 14 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (4) के बाद निम्न नई उप-धारा (5) जोड़ी जायेगी :-

“(5) धारा 14 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट पांच वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व यदि किसी कारण से किसी ग्राम पंचायत का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो, तो उक्त अवधि के अवसान पर वह ग्राम पंचायत भंग हो जायेगी और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ग्राम पंचायत में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन, ऐसी परामर्शी समिति द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त गठित करे।”

3. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 39 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप धारा (4) के बाद निम्न नई उप-धारा (5) जोड़ी जायेगी :-

“(5) धारा 39 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट पांच वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व यदि किसी कारण से किसी पंचायत समिति का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो, तो उक्त अवधि के अवसान पर वह पंचायत समिति भंग हो जायेगी और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पंचायत समिति में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन, ऐसी परामर्शी समिति द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त गठित करे।”

4. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 66 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 66 की उप धारा (4) के बाद निम्न नई उप-धारा (5) जोड़ी जायेगी :-

“(5) धारा 66 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट पांच वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व यदि किसी कारण से किसी जिला परिषद् का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो, तो उक्त अवधि के अवसान पर वह जिला परिषद् भंग हो जायेगी और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला परिषद् में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन, ऐसी परामर्शी समिति द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त गठित करे।”

5. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 92 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप धारा (3) के बाद निम्न नई उप-धारा (4) जोड़ी जायेगी :-

“(4) धारा 92 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट पांच वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व यदि किसी कारण से किसी ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो, तो उक्त अवधि के अवसान पर वह ग्राम कचहरी भंग हो जायेगी और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ग्राम कचहरी में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन ऐसी परामर्शी समिति द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त गठित करे।”

पटना
दिनांक-02 जून 2021

फागू चौहान,
बिहार-राज्यपाल।

भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-(1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

पटना
दिनांक-02 जून 2021

फागू चौहान,
बिहार राज्यपाल।

2 जून 2021

सं० एल०जी०-01-13/2021/2678/लेज—बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक dated-2nd June, 2021 को प्रख्यापित बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (बिहार अध्यादेश संख्या-03, 2021) का निम्नलिखित अंग्रेजी

अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

(Bihar Ordinance No.-03, 2021)

The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2021

To amend the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006)

Preamble-WHEREAS, The Legislature of the State of Bihar is not in session; AND, WHEREAS, The Governor of Bihar is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend the BIHAR PANCHAYAT RAJ ACT, 2006 (ACT 6, 2006), in the manner hereinafter appearing;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 of Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. Short title, extent and commencement- (i) This Ordinance may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2021

(ii) It shall extend to whole of the State of Bihar excepting the areas to which the provisions of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act No. 11 of 2007) or Cantonment Act, 1924, (Act II of 1924) apply.

(iii) It shall come into force from date of publication in Official Gazette.

2. Amendment of Section 14 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Act 6 of 2006) .- A new sub-section (5) shall be added after sub-section (4) of Section 14 of the said Act as following:-

"(5) If for any reason, it is not possible to hold the general election of a Gram Panchayat before the expiry of a period of five years specified in sub-section (1) of Section 14, the Gram Panchayat shall stand dissolved on the expiration of the said period and all the powers and functions vested in the Gram Panchayat under this Act or under any other law for the time being in force shall be exercised or performed by an Advisory Committee which the State Government may, by notification, constitute for this purpose."

3. Amendment of Section 39 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Act 6 of 2006).- A new Sub section (5) shall be added after sub-section (4) of Section 39 of the said Act as following:-

"(5) If for any reason, it is not possible to hold the general election of a Panchayat Samiti before the expiry of a period of five years specified in sub-section (1) of section 39, the Panchayat Samiti shall stand dissolved on the expiration of the said period and all the powers and functions vested in the Panchayat Samiti under this Act or under any other law for the time being in force shall be exercised or performed by an Advisory Committee which the State Government may, by notification, constitute for this purpose."

4. Amendment of Section 66 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Act 6 of 2006).- A new Sub section (5) shall be added after sub-section (4) of Section 66 of the said Act as following:-

"(5) If for any reason, it is not possible to hold the general election of a Zila Parishad before the expiry of a period of five years specified in sub-section (1) of section 66, the Zila Parishad shall stand dissolved on the expiration of the said period and all the powers and functions vested in the Zila Parishad under this Act or under any other law for the time being in force shall be exercised or performed by an Advisory Committee which the State Government may, by notification, constitute for this purpose."

5. Amendment of Section 92 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Act 6 of 2006)
.- A new Sub section (4) shall be added after sub-section (3) of Section 92 of the said Act as following:-

"(4) If for any reason, it is not possible to hold the general election of a Gram Katchahry before the expiry of a period of five years specified in sub-section (1) of section 92, the Gram Katchahry shall stand dissolved on the expiration of the said period and all the powers and functions vested in the Gram Katchahry under this Act or under any other law for the time being in force shall be exercised or performed by an Advisory Committee which the State Government may, by notification, constitute for this purpose."

Patna
Dated.— 02nd June 2021

PHAGU CHAUHAN,
Governor of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 324-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>